उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

पत्र सं0: 4024 -मा0सं0प्र0-02/उनीलि/2013-48-मा0सं0प्र0-02/2001 दिनांक : 12 दिसम्बर, 2013

फैक्स

(1) मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II),
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह/
परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ ।

(2) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

विषय :- *उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित किये जा चुके है को महगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01.07.2013 से लागू बढ़ी हुई दर पर किये जाने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश स0: वे0आ0-1-1050/दस-2013-42(एम)/2008, दिनांक 29.05.2013 के सन्दर्भ में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आदेश सख्या 1021 मा0सं0प्र0-(02)/उ0नि0लि0/2013-48-मा0सं0प्र0-(02)/2001, दिनांक 25.06.2012 के अनुक्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों मे वेतन प्राप्त कर रहे उत्पादन निगम के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2013 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

तिथि जब से देय है	महगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2013	मूल वेतन का 90 प्रतिशत

2- इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनाक 01.01.06 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान मे अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन भत्ता, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा मे आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नही किया जायेगा।

क्रमशः 2/-

3- निगमादेश सं0 53/मा0स0(04)/उनिलि/2009-17-मा0स0(04)/2003, दिनांक 08.01.2010 में निहि॰ प्राविधानान्तर्गत चिकित्साधिकारियों को स्वीकृत प्रेक्टिस बंदी भत्ता की धनराशि को महगाई भत्ता के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4- महगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

5- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणो से यथा अनुशासनिक कारणो से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदो की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6- इन आदेशो द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड दिया जायेगा।

7- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरो पर महगाई भत्ते के दिनांक0 1 जुलाई, 2013 एव अग्रेतर भुगतान/ अवशेष की देयता की प्रकिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

दिनांक 01 जुलाई, 2013 से दिनांक 30 नवम्बर, 2013 तक की मंहगाई भत्ते की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी, और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 दिसम्बर, 2013 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते पर लागू दर से देय होगा, इस प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अशंदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 30 नवम्बर, 2014 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें सामान्य/अशंदायी भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (**Final Withdrawal**) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा।

I- यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

II- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई , 2013 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हो, उनको देय महगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

क्रमशः..... 3/-

III- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 ~~जून~~ दिसम्बर, 2013 से (माह ~~जून~~ दिसम्बर, 2013 का भुगतान दिनांक 01 ~~जुलाई~~ जनवरी, 2014 को देय) नकद किया जायेगा।

8-- निगम के आदेश स0 सचिव/उनिलि/सी0पी0एफ0ट्रस्ट/952 दिनांक 02.12.2006 के अनुसार बढे हुये महगाई भत्ते के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कन्ट्रब्यूटी प्रोविडेण्ट फण्ड ट्रस्ट से आवरित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में यह धनराशि सी0पी0एफ0 खातों में जमा की जायेगी और इस राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सी0पी0एफ0 मद में दी जायेगी।

9-- उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(एम0डी0मिश्र)
उप महाप्रबन्धक(02)

सं0 4024--(1)--मा0सं0प्र0--02/उनिलि/2013, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित --

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(3) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता, (मा0सं0)/(मा0सं0--02/03)/(कारपोरेट स्ट्रेटजी)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(5) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
(6) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 लखनऊ।
(7) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0--01/02/03/04/05/06/रिफार्म/टाण्डा वाइडिंग एवं ससदीय कार्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ
(8) अधीक्षण अभियन्ता(रिफार्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,गोमतीनगर लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।

(9) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(10) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एव लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(11) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी(वि0 एव ले0)/(पेंशन)/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(12) कट फाइल ।

आज्ञा से,

(एम0डी0मिश्र)

उप महाप्रबन्धक(02)